

न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क मांक 33/2014 क्लेम
संस्थापित दिनांक 24-06-2014

1. श्रीमती सरिता भदौरिया पत्नी स्व. श्री शिवराज सिंह भदौरिया उम्र 24 वर्ष।
 2. कुमारी रानू भदौरिया पुत्री स्व0 श्री शिवराजसिंह भदौरिया उम्र 3 वर्ष।
 3. रुद्रांससिंह भदौरिया पुत्र स्वयं श्री शिवराजसिंह भदौरिया उम्र 09 माह।
 4. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी मोहरसिंह उम्र 50 वर्ष।
 5. श्रीमती गोमती पत्नी श्री मुरारीसिंह भदौरिया उम्र 65 वर्ष।
- आवेदक क मांक 2 व 3 अवयस्क प्राकृतिक संरक्षक माँ श्रीमती सरिता भदौरिया पत्नी स्व. श्री शिवराजसिंह भदौरिया, समस्त निवासीगण सचदेवा गली, स्टेट बैंक के सामने मेंहगांव, जिला भिण्ड म0प्र0।

----- आवेदक गण

एवं

प्रकरण क मांक 32/2014 क्लेम
संस्थापित दिनांक 24.06.2014

1. श्रीमती सुनीता सोनी पत्नी श्री रामकुमार सोनी उम्र 34 वर्ष।
2. रामकुमार सोनी पुत्र स्व. मन्टो सोनी उम्र 36 वर्ष।
3. निधि सोनी पुत्री श्री रामकुमार सोनी उम्र 17

वर्ष। नावालिग सरपरस्त माँ श्रीमती सुनीता सोनी।
समस्त निवासीगण शासकीय कॉलेज के पीछे
खेरिया तोर मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0।

----- आवेदकगण

बनाम

1. देवेन्द्रसिंह यादव पुत्र श्री एन.एस.यादव निवासी
ग्राम पंचायत कुलैया बरई, जिला ग्वालियर
म0प्र0। -----**वाहन चालक**

2. शरीफ खॉ पुत्र नत्थे खॉन निवासी मोहना घाटी
गांव, जिला ग्वालियर म0प्र0।

-----**वाहन स्वामी**

3. बजाज एलाइंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी
लिमिटेड, मण्डल कार्यालय जी.ई. प्लाजा
ऐयरपोर्ट रोड, परवडा पूना 411006
द्वारा मण्डल प्रबंधक।

-----अनावेदकगण

दोनों प्रकरणों के— आवेदकगण द्वारा श्री दीपक गोयल अधिवक्ता।
अनावेदक कं0 1, 2 पूर्व से एक पक्षीय।
अनावेदक कं0 3 द्वारा श्री के0पी0राठौर अधिवक्ता

// अधि-निर्णय //

// आज दिनांक 22-03-2016 को घोषित किया गया //

01. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दोनों अलग अलग क्लेम याचिकाओं/आवेदनपत्र धारा 166 सहपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक ही घटनाक्रम से संबंधित होने से दोनों ही प्रकरणों का संयुक्त रूप से निराकरण किया जा रहा है। जिसमें कि आवेदकगणों के द्वारा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 के चालक, वाहन स्वामी और बीमा कम्पनी के विरुद्ध मृतक शिवराजसिंह एवं मृतक नीतेश सोनी की मोटरयान दुर्घटना में मृत्यु के फलस्वरूप उनके विधिक वारिस होने के आधार पर क्रमशः 30,75,000/- रूपए एवं 25,75,000/- रूपए

प्रतिकर स्वरूप एवं उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी बसूली तक व्याज दिलाए जाने बावत् निवेदन किया गया है।

02. यह अविवादित है कि वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 का अनावेदक क्रमांक 2 स्वामी है तथा उसका चालक अनावेदक क्रमांक 1 है और उक्त वाहन घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था।

03. दोनों ही क्लेम प्रकरणों के संबंध में समान तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 25.11.2013 को शाम को सात बजे शिवराजसिंह अपने मित्र नीतेश के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.ओ. 3521 से ग्वालियर से अपनी माँ को बस में बैठाकर अपने गांव बापस आ रहे थे। मोटरसाइकिल को नीतेश सोनी अपने बाएं हाथ की तरफ धीरे धीरे चला रहा था। जैसे ही सात बजे बंजारा पुरा थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में पेट्रोलपम्प के पास पहुँचे तभी मेंहगांव की तरफ से ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 का चालक अनावेदक क्रमांक 1 अपने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और वाहन की टक्कर शिवराज की मोटरसाइकिल में मार दी जिससे कि शिवराजसिंह और नीतेश को गंभीर चोटें आई आकर घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद घटनास्थल पर काफी लोग एकत्र हो गए और घटना की सूचना थाना गोहद चौराहा पर दी गई जिस पर थाना गोहद चौराहा के द्वारा रिपोर्ट लिखकर के ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अपराध क्रमांक 274/2013 धारा 279, 337, 304ए भा0दं0वि0 के तहत दर्ज किया गया। अनावेदक क्रमांक 1 को गिरफ्तार किया गया एवं उक्त ट्रक जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था उसे जप्त किया गया जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया। मृतकों के शव को उनके परिजनों द्वारा पी.एम करने के उपरांत सुपुर्दगी पर लिया गया और उनका दाहसंस्कार और कृया कर्म किया गया।

क्लेम प्र0कं0 33/2014 के संबंध में विशिष्ट तथ्य:-

04. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के विशिष्ट तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि मृतक शिवराजसिंह 26 वर्षीय नव युवक था जिसकी कि आवेदिका क्रमांक 1 पत्नी है और आवेदक क्रमांक 2 व 3 उसके पुत्र व पुत्री है और आवेदक क्रमांक 4 उसकी माँ और आवेदक क्रमांक 5 उसकी दादी है जो कि उसके वैध वारिस होकर उसके जीवनकाल में उस पर आश्रित थे। मृतक स्टेशनरी के सामान व इलेक्ट्रोस्टेट व कम्प्यूटर टाइपिंग का काम ग्वालियर रोड मेंहगांव में करता था जिससे कि 20000/- रुपए मासिक आय अर्जित कर लेता था और इसी से आवेदकगण का भरण पोषण होता था। वह उनके भरण पोषण और देख

रेख करने वाला मात्र एक सदस्य था। आवेदक क्रमांक 1 जो कि उसकी पत्नी है विधवा होकर पति के सुखों से बंचित हो गई है। अनावेदक क्रमांक 2 व 3 अपने पिता के स्नेह से बंचित हो गए हैं। शिवराजसिंह की यदि असमायक मृत्यु न होती तो वह भविष्य में 40,000/- रुपए मासिक आय अर्जित करता। उपरोक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण घटित हुई जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था तथा अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था। ऐसी दशा में मृतक की मृत्यु के फलस्वरूप विभिन्न मदों में 30,75,000/- रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने का निवेदन आवेदकगण के द्वारा किया गया है।

क्लेम प्र0कं0 32/2014 के संबंध में विशिष्ट तथ्य:-

05. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदिका क्रमांक 1 मृतक नीतेश की माँ है, आवेदक क्रमांक 2 उसका पिता तथा आवेदिका क्रमांक 3 उसकी बहन है जो कि उसके वैधा वारिस है। दुर्घटना के पूर्व नीतेश स्वस्थ व्यक्ति होकर जनरल स्टोर एवं स्टेशनरी के सामान की दुकान मेहगांव में करता था जिससे वह 10,000/- रुपए मासिक आमदनी अर्जित कर लेता था। उसके द्वारा अर्जित आय पर ही आवेदकगण आश्रित थे और उसी के द्वारा उनका भरण पोषण किया जाता था। वह अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा भी था। आवेदिका क्रमांक 4 जो कि उसकी बहन है वह भी उसके द्वारा की जाने वाली आर्थिक सहायता से बंचित हो गई है। उक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था और अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलने के फलस्वरूप घटित हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मदों में प्रतिकर स्वरूप 25,75,000/- रुपए दिलाए जाने का निवेदन किया है।

06. उपरोक्त दोनों ही क्लेम आवेदनपत्रों का अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा समान रूप से पेश करते हुए आवेदकगण के आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों को स्वीकार किया है और यह अभिकथित किया है कि अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा कोई भी दुर्घटना कारित नहीं की गई है और उसने अपने वाहन को तेजी अथवा लापरवाही से नहीं चलाया, बल्कि दुर्घटना मृतक शिवराज जिस मोटरसाइकिल में सवार था उसके चालक नीतेश सोनी के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल तेजी व लापरवाही से चलाकर तथाकथित दुर्घटना कारित की गई है, जिसमें कि मोटरसाइकिल चालक की दुर्घटना कारित करने के लिए दार्ड है। अनावेदक क्रमांक 1 की कोई लापरवाही दुर्घटना कारित करने में नहीं रही है। अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा यह भी आधार लिय गया है कि प्रश्नाधीन वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी

में घटना दिनांक को बीमित था। ऐसी दशा में यदि प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व भी है तो वह अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का है। उनके संबंध में आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा भी उपरोक्त दोनों ही क्लेम आवेदनपत्रों में समान रूप से जबाब पेश करते हुए आवेदकगण के आवेदनपत्रों के अभिवचनों को इन्कार करते हुए प्रारंभिक आपत्तियाँ व अतिरिक्त आपत्ति में यह आधार लिया गया है कि दुर्घटना में प्रश्नाधीन ट्रक को पुलिस से मिलकर साठगांठ कर झूठा लिफ्ट किया गया है तथा कथित घटना शिवराजसिंह व उसके मित्र नीतेश जो कि मोटरसाइकिल बजाज प्लेटीना क्रमांक एम.पी. 30 एम.सी. 3521 को चला रहा था उसकी लापरवाही से घटित हुई है, जिसमें कि उनकी मृत्यु हुई है। मृतक नीतेश के पास वाहन चलाने हेतु कोई वैध एवं प्रभावी अनुज्ञप्ति भी नहीं थी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात वाहन के विरुद्ध लेखबद्ध कराई गई है। पुलिस थाना गोहद चौराहा के द्वारा बाद में साठगांठ कर प्रश्नाधीन ट्रक को घटना में झूठा लिफ्ट किया गया है। प्रकरण में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष है जो कि मोटरसाइकिल के स्वामी व बीमा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि दुर्घटना में योगदाई उपेक्षा की है। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को वाहन चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी अनुज्ञप्ति नहीं था और वाहन वैध एवं प्रभावी परिमित व फिटिनेश के बिना ही चलाया जा रहा था जो कि बीमा पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन है। ऐसी दशा में अनावेदक क्रमांक 3 के विरुद्ध क्लेम आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

08. आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं –

प्रकरण क्रमांक 33/14 क्लेम

क्र0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 25.11.2013 को बंजारा का पुरा पेट्रोलपम्प के पास थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में अनावेदक क्र. 1 के द्वारा अनावेदक क्र. 2 के स्वामित्व के वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 को लापरवाही एवं उतावलेपन से चलाकर शिवराजसिंह की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की ?	

2	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 को मोटरयान अधिनियम की शर्तों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था? यदि हाँ तो प्रभाव?	
3	क्या दुर्घटना के समय मृतक शिवराजसिंह दुकानदारी का व्यवसाय कर 20,000/- रूपए मासिक आमदनी अर्जित कर लेता था?	
4	क्या आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हाँ तो किसससे एवं कितना कितना?	
5	सहायता एवं व्यय?	

प्रकरण क्रमांक 32/14 क्लेम

क्र0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 25.11.2013 को बंजारा का पुरा पेट्रोलपम्प के पास थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में अनावेदक क्र. 1 के द्वारा अनावेदक क्र. 2 के स्वामित्व के वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 को लापरवाही एवं उतावलेपन से चलाकर नीतेश सोनी की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की ?	

2	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 को मोटरयान अधिनियम की शर्तों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था? यदि हाँ तो प्रभाव?	
3	क्या दुर्घटना के समय मृतक नीतेश सोनी दुकानदारी का व्यवसाय कर 10,000/- रूपए मासिक आमदनी अर्जित कर लेता था?	
4	क्या आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हाँ तो किसससे एवं कितना कितना?	
5	सहायता एवं व्यय?	

// निष्कर्ष के आधार //

क्लेम प्र0कं0 33/2014, 32/2014 क्लेम के बिन्दु क्र. 1 :-

09. आवेदिका सरिता भदौरिया आ0सा0 1 अपने साक्ष्य कथन में उसके द्वारा आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताई है कि दिनांक 25.11.2013 को उसका पति शिवराज मृतक नीतेश के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.ओ. 3521 से ग्वालियर से अपनी माँ को बस में बैठाकर गांव बापस आ रहे थे। मोटरसाइकिल को नीतेश चला रहा था, जैसे ही बंजारा पुरा पेट्रोलपम्प के पास पहुँचे मेहगांव की तरफ से ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी 4744 का चालक तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर लाया और

मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके पति व नीतेश को गंभीर रूप से चोटें आकर उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। आवेदिका के द्वारा आपराधिक प्रकरण जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ है से संबंधित दस्तावेज पेश किए गए हैं जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1, पी.एम. रिपोर्ट प्र.पी. 2 व 3, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 4, वाहन जप्ती पत्रक प्र.पी. 5, वाहन को सुपुर्दगी पर लिए जाने बावत् सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 6 और प्रकरण में विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी. 7 उसकी ओर से पेश किया गया है।

10. उक्त साक्षिया के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं थी और इस बात को भी स्वीकार की है कि उसके पति किस की मोटरसाइकिल से निकले थे उसके बारे में उसे पता नहीं है और इस बात को भी स्वीकार की है कि उसके पति मोटरसाइकिल नहीं चला रहे थे। साक्षिया के द्वारा इस संबंध में किए गए कथन स्वभाविक हैं। उक्त साक्षिया घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, किन्तु उसे घटना के पश्चात् घटना के संबंध में पता चला है और अपने पति को मृत अवस्था में उसके द्वारा देखा गया है।

11. उपरोक्त संबंध में आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षिया सुनीता सोनी जो कि क्लेम प्रकरण क्रमांक 32/14 की आवेदिका क्रमांक 1 के रूप में है के द्वारा भी उपरोक्त जैसा कथन कर घटना दिनांक को उसके पुत्र नीतेश सोनी जो कि मोटरसाइकिल चला रहा था उसको ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 के चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मारना तथा उसकी एवं शिवराजसिंह की मृत्यु हो जाना बताया है। उक्त साक्षिया प्रतिपरीक्षण में बताई है कि घटना के वक्त जिस मोटरसाइकिल को चलाकर उसका लडका ले गया था वह किस की थी उसे पता नहीं है और लडका मोटरसाइकिल कहाँ से ले गया था यह भी उसे पता नहीं है। साक्षिया ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 को घटना में झूठा फंसाया है। उक्त साक्षिया यद्यपि घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, किन्तु घटना के पश्चात् उसे दुर्घटना के बारे में पता चला है और उसके द्वारा अपने मृत पुत्र को भी देखा गया है।

12. घटना के संबंध में घटना के चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी रामनरेश साक्षी क्रमांक 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 25.11.2013 को ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 में बैठकर अपने घर से ग्वालियर आ रहा था। जैसे ही बिरखडी पेट्रोलपम्प हाईवे पर आया, ग्वालियर की तरफ से दो व्यक्ति मोटरसाइलि से मेहगांव की तरफ जा रहे थे। ट्रक चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर रोंग साइड में आकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल में सवार दोनों व्यक्ति गिर गए। ट्रक चालक ट्रक को

भगाकर ग्वालियर की तरफ ले गया। दूसरे दिन जब वह ग्वालियर से बापस मेहगांव गया तो उसे मालूम पडा कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है जो कि दोनों मेहगांव के निवासी थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी यह बताया है कि वह ड्रायवरी का काम करता है और घटना दिनांक को वह वाहन क्रमांक एम.पी. 07 एच.जी. 4297 पर ड्रायवरी का ट्रांसपोर्ट नगर में काम करता था। वह मेहगांव से ग्वालियर जा रहा था। उसे बस नहीं मिली थी इस कारण ट्रक में बैठ गया था। जहाँ पर दुर्घटना कारित हुई और जिस मोटरसाइकिल में दो लोग बैठे थे और जिनके साथ दुर्घटना हुई थी उनकी मोटरसाइकिल का नम्बर वह नहीं देख पाया था। जो कि साक्षी के द्वारा इस संबंध में किया गया कथन स्वभाविक लगता है।

13. साक्षी रामनरेशसिंह के साक्ष्य कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी जो कि प्रश्नाधीन ट्रक में बैठकर जाना बता रहा है। साक्षी जो कि स्वयं ट्रक चालक था और ट्रांसपोर्ट नगर ग्वालियर के लिए ट्रक में ही बैठकर जा रहा था, उसका ट्रक में बैठकर जाना अस्वभाविक भी नहीं कहा जा सकता है। यदि दुर्घटना के समय उसे आहत लोगों के बारे में कि वह कहाँ के रहने वाले है कौन है पता नहीं चल पाया और बाद में उसे पता चला कि वह मेहगांव के रहने वाले है तो इससे भी कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण या आधार परिलक्षित नहीं होता है।

14. आवेदक पक्ष के द्वारा किये गए अभिवचनों की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भी होती है जो कि आवेदक पक्ष के द्वारा आपराधिक प्रकरण जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध दर्ज है से संबंधित दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि पेश की गई है जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 2 व 3, आरोपी का गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 4, जप्ती पत्रक प्र.पी. 5, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 6 तथा अभियोगपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 7 अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भा0दं0वि0 जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आपराधिक प्रकरण से संबंधित उपरोक्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि से यह स्पष्ट है कि आपराधिक प्रकरण अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई है और विवेचना में प्रश्नाधीन वाहन ट्रक के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित कर मृतक शिवराज सिंह और नीतेश सोनी की मृत्यु हो जाना पाया गया है एवं शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 2 व 3 से भी दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो जाना स्पष्ट होता है।

15. इस प्रकार आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर भी अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से प्रश्नाधीन वाहन ट्रक को चलाकर

दुर्घटना कारित की गई जिसमें कि उक्त दोनों मृतकों की मृत्यु हो जाने की पुष्टि होती है।

16. अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के प्रतिखण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की किया गया है। इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि उपरोक्त दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने के फलस्वरूप कारित हुई है, किन्तु इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जबकि इस बिन्दु पर वाहन चालक अनावेदक क्रमांक 1 इस संबंध में सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था।

17. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा अपने तर्क में यह आधार लिया गया है कि दुर्घटना के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें कहीं भी वाहन क्रमांक एम. पी. 07 जी. 4744 के संलग्न होने का कोई उल्लेख नहीं है। प्रकरण में बाद में पुलिस थाना गोहद चौराहा के द्वारा झूठी कहानी बताई जाकर वाहन मालिक से मिलकर बीमा कम्पनी के विरुद्ध क्लेम प्राप्त करने हेतु प्रकरण बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन वाहन का फिटनेस भी घटना दिनांक को मौजूद व प्रभावी नहीं था। उपरोक्त संबंध में बीमा कम्पनी के द्वारा साक्षी बृजेश कुमार मिश्रा अन्वेषक तथा अरुण कुमार तिवारी सहायक ग्रेड-1 आर.टी. ओ. ग्वालियर के कथन कराए गए हैं।

18. उपरोक्त संबंध में कम्पनी के अन्वेषक बृजेश कुमार मिश्रा अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी क्रमांक 1 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि अज्ञात वाहन के विरुद्ध लिखाई गई है, विवेचक के द्वारा भी अज्ञात वाहन से घटना होना अन्वेषण के दौरान बताया गया था एवं बाद में किसी परिचित से मिलकर वाहन क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 को संलिप्त किया गया है। यदि कथित चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा घटना देखी गई होती तो तुरन्त घटनास्थल पर ट्रक को रोककर इस संबंध में पुलिस को वह बताता। क्षतिपूर्ति की राशि पाने के लिए घटना के 23 दिन उपरांत वाहन को पुलिस व उसके स्वामी से मिलकर झूठा संलिप्त किया गया है। अन्वेषण रिपोर्ट प्र.डी. 2 उनके द्वारा पेश की गई है।

19. कम्पनी के द्वारा अन्वेषक बृजेश कुमार मिश्रा के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके द्वारा अन्वेषण में किस व्यक्ति के कथन आदि लिये गए हैं एवं किस से जानकारी ली गई है और किस आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है गई है ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में ट्रक के द्वारा दुर्घटना कारित करने के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है। घटना के

पश्चात् संबंधित ट्रक घटनास्थल पर नहीं था, साक्षी के अनुसार ट्रक चालक उसे भगाकर ले गया था। ऐसी दशा में जबकि दुर्घटना हाईवे पर हुई है जो कि शाम सात जे के करीब घटित हुई है। यदि उस उसम ट्रक का नम्बर आदि कोई नोट नहीं कर पाया हो तो इससे कोई विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती है। साधारणतः इस प्रकार की दुर्घटनाओं में जबकि ट्रक चालक दुर्घटना कारित कर ट्रक भगाकर ले गया हो यह उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि तुरन्त की गई रिपोर्ट में ट्रक के नम्बर का उल्लेख किया जा सके। इस बिन्दु पर आवेदक पक्ष के द्वारा कुसुमलता बगैरह वि० सत्यबीर बगैरह 2011 ए.आई.आर. एस.सी. 1234, रवि वि० बट्टीनारायण बगैरह 2011 ए.आई.आर. एस.सी. 1226 पेश किए गए हैं, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन के क्रमांक और उसके चालक के नाम का उल्लेखन न होने के आधार पर क्षतिपूर्ति आवेदनपत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा 2014(1) ए.सी.सी. डी. 34 एम.पी. ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी वि० कलावती बगैरह पेश किया गया है, उक्त प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियाँ वर्तमान प्रकरण के समान न होकर भिन्न है। ऐसी दशा में उक्त प्रकरण के आधार पर कोई दुर्घटना प्रश्नाधीन वाहन से घटित होने के संबंध में कोई विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती है। प्रश्नाधीन ट्रक के दुर्घटना में लिप्त होने बावत् विवेचना के दौरान पता चला हो और विवेचना अधिकारी के कथन भी अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा इस संबंध में नहीं कराए गए हैं जिससे कि ट्रक को झूठा लिप्त किया जानो की कोई पुष्टि हो सके। कम्पनी के अन्वेषक घटनास्थल का न तो साक्षी है और न ही उसके द्वारा की गई अन्वेषण के आधार पर दुर्घटना प्रश्नाधीन वाहन के द्वारा घटित न होकर किसी अन्य वाहन से घटित होने और आवेदकगण के द्वारा वाहन स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 से कोई दुरभि संधि कर ट्रक को बाद में लिप्त किये जाने बावत् कोई सम्पुष्टि होती है।

20. ऐसी दशा में प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि दिनांक 25.11.2013 को शाम के सात बजे गोहद चौराहा क्षेत्र में अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा ट्रक क्रमांक एम.पी. 7 जी. 4744 जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का है को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर शिवराजसिंह व नीतेश सोनी की मृत्यु कारित की गई। तदनुसार दोनों ही प्रकरणों के बिन्दु वर्तमान बिन्दु क्रमांक 1 का निराकरण कर उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

क्लेम प्र0कं0 33/2014, 32/2014 क्लेम के बिन्दु क्र. 2 :-

21. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 का फिटिनेश मौजूद नहीं

था। ऐसी दशा में उक्त वाहन घटना दिनांक को मोटरयान अधिनियम और बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था, जिस कारण अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा कम्पनी के अन्वेषक बृजेश कुमार मिश्रा व आर.टी.ओ. कार्यालय ग्वालियर के सहायक ग्रेड-1 अरुण कुमार तिवारी के कथन कराए गए हैं। साक्षी बृजेश कुमार मिश्रा के द्वारा वाहन के फिटनेश से संबंधित आर0टी0ओ0 से प्राप्त फिटनेश की सत्यापन रिपोर्ट प्र.डी. 1 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वाहन का फिटनेश दिनांक 21.11.2013 तक ही मौजूद था जबकि घटना दिनांक 25.11.2013 की है। उसके बाद दिनांक 04.12.2013 को फिटनेश जारी किया गया है। इस बिन्दु पर आर.टी.ओ. ग्वालियर के सहायक ग्रेड-1 अरुण कुमार तिवारी के द्वारा भी वाहन क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 का फिटनेश दिनांक 04.12.2013 से 03.12.2014 के लिए जारी होना जो कि फिटनेश रिपोर्ट प्र.डी. 3 होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त वाहन ट्रक का फिटनेश दिनांक 21.11.13 को समाप्त हो गया था और दिनांक 04.12.2013 को पुनः रिनू हुआ है। वर्तमान दुर्घटना दिनांक 25.11.13 की होनी बताई गई और दिनांक 21.11.13 के पूर्व का फिटनेश मौजूद था और दिनांक 04.12.2013 को नवीन फिटनेश जारी हुआ है जैसा कि उक्त साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है।

22. प्रश्नाधीन वाहन के फिटनेश का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा कम्पनी की ओर से जारी बीमा पॉलिसी को कहीं भी कम्पनी के अधिकारी के कथन कराकर इस तथ्य को प्रमाणित नहीं कराया गया है कि बीमा पॉलिसी में कहीं भी इस आशय का उल्लेख हो कि फिटनेश के बिना वाहन चलाए जाने पर धारा 149 मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा हो। उक्त तथ्य जो कि बीमा कम्पनी के द्वारा लिया गया है, इस संबंध में उसको स्पष्ट रूप से बीमा पॉलिसी प्रमाणित कराकर फिटनेश की शर्त का उल्लंघन होने को प्रमाणित कराया जाना चाहिए था। इस संबंध में आवेदक के द्वारा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड वि0 मनोज बगैरह 2014 ए.सी.जे. 2389 पेश किया गया है जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि बीमा कम्पनी इस तथ्य को स्पष्ट रूप से इंगित नहीं कर पाया है कि फिटनेश सर्टिफिकेट की किसी शर्त का उल्लेख बीमा पॉलिसी में है तो इससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होना नहीं माना जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में भी अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा बीमा पॉलिसी को न तो प्रमाणित कराया गया है और न ही उसकी शर्तों के संबंध में बीमा पॉलिसी के किसी अधिकारी के कथन कराए गए हैं।

ऐसी दशा में बीमा कम्पनी के द्वारा लिए गए उक्त आधार पर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघन होना नहीं माना जा सकता है।

23. इस प्रकार जबकि अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा वाहन के चालक का ड्राइविंग लाइसेंस अथवा परिमिट आदि के कोई उल्लघन होने का कोई भी तथ्य प्रमाणित नहीं किया गया है और फिटनेस के संबंध में बीमा पॉलिसी में इस संबंध में शर्तों को भी किसी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया गया है। उक्त वाहन मोटरयान अधिनियम एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघन होना प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार दोनों ही प्रकरणों के वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

क्लेम प्र0 क0 33/2014 का बिन्दु क्रमांक 3

24. आवेदकगण के द्वारा अपने अभिवचनों में यह बताया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक शिवराजसिंह 26 वर्षीय हृस्टपुष्ट व्यक्ति होकर स्टेशनरी का सामान और इलेक्ट्रोस्टेट और कम्प्यूटर टाइपिंग की दुकान मेहगांव में करता था जिससे वह 20,000/- रुपए मासिक की आय अर्जित कर लेता था। इस बिन्दु पर आवेदिका श्रीमती सरिता भदौरिया के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि दुर्घटना के समय उसके पति स्वस्थ एवं हस्ट-पुष्ट थे और 20,000/- रुपए मासिक आय अर्जित करता था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षिया के द्वारा बताया गया है कि उसके पति की आमदनी के संबंध में कोई भी लिखित दस्तावेज उसके द्वारा पेश नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक शिवराजसिंह की कोई दुकान होना अथवा उसके नाम पर कोई इलेक्ट्रोस्टेट मशीन आदि होना जिससे कि वह व्यवसाय कर रहा है। ऐसा कोई भी दस्तावेजी प्रमाण इस आशय का पेश नहीं किया गया है। उसकी आमदनी के संबंध में कोई भी दस्तावेज जिससे कि वह 20,000/- रुपए मासिक आय अर्जित कर लेता था उसकी पुष्टि होने बावत् पेश नहीं किया गया है। ऐसी दशा में किसी भी परिप्रेक्ष्य में मृतक शिवराजसिंह के द्वारा स्टेशनरी, इलेक्ट्रोस्टेट व कम्प्यूटर टाइपिंग कर 20,000/- रुपए प्रति माह आय अर्जित करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

क्लेम प्र0 क0 32/2014 का बिन्दु क्रमांक 3

25. आवेदकगण के द्वारा अपने अभिवचनों में यह बताया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक नीतेश सोनी 19 वर्षीय हृस्टपुष्ट व्यक्ति होकर जनरल स्टोर एवं स्टेशनरी के सामान की दुकान मेहगांव में करता था जिससे वह 10,000/- रुपए मासिक की आय अर्जित

कर लेता था। इस बिन्दु पर आवेदिका श्रीमती सुनीता सोनी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि दुर्घटना के समय उसका पुत्र स्वस्थ एवं हस्त-पुष्ट था जो कि जनरल स्टोर एवं स्टेशनरी की दुकान करता था जिससे 10,000/- रूपए मासिक आए अर्जित करता था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षिया के द्वारा बताया गया है कि उसके पुत्र की आमदनी के संबंध में कोई भी लिखित दस्तावेज उसके द्वारा पेश नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक नीतेश की कोई दुकान होना जिसमें कि वह व्यवसाय कर रहा है। ऐसा कोई भी दस्तावेजी प्रमाण इस आशय का पेश नहीं किया गया है। उसकी आमदनी के संबंध में कोई भी दस्तावेज जिससे कि वह 10,000/- रूपए मासिक आय अर्जित कर लेता था उसकी पुष्टि होने बावत् पेश नहीं किया गया है। ऐसी दशा में किसी भी परिप्रेक्ष्य में मृतक नीतेश सोनी के द्वारा जनरल स्टोर और स्टेशनरी की दुकान कर 10,000/- रूपए प्रति माह आय अर्जित करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर “नहीं” में दिया जाता है।

क्लेम प्र0 कं0 33/2014 का बिन्दु क्रमांक 4

26. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचन एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया गया है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का है तथा अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित है को तेजी व लापरवाही से दुर्घटना कारित की जिसके फलस्वरूप शिवराज की मृत्यु कारित हुई। मृतक शिवराजसिंह की मोटरयान दुर्घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्रियाँ एवं माँ व दादी के द्वारा उसके वारिस होने के आधार पर प्रतिकर हेतु वर्तमान दावा पेश किया गया है।

27. मृतक शिवराजसिंह की मोटरयान दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण उसे प्राप्त होने वाले प्रतिकर का जहाँ तक प्रश्न है। आवेदिका क्र0 1 मृतक शिवराजसिंह की पत्नी है और आवेदक क्रमांक 2 व 3 उसकी पुत्री व पुत्र है एवं आवेदिका क्रमांक 4 मृतक की माँ है जो कि स्पष्ट रूप से मृतक के वारिस है। जहाँ तक आवेदिका क्रमांक 5 गोमती जो कि मृतक की दादी है के मृतक पर आश्रित होने का प्रश्न है, वह अपने नाती मृतक पर किस प्रकार से आश्रित थी ऐसा कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आवेदिका क्रमांक 5 के संबंध में कोई ऐसी साक्ष्य नहीं है कि वह अपने नाती मृतक की आय पर ही आश्रित थी उसे आश्रित होना नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार दुर्घटना के समय मृतक के आश्रितों में उसकी पत्नी, दो बच्चे एवं उसकी माँ कुल 4 वारिस मौजूद होने पाए जाते हैं।

28. दुर्घटना के समय मृतक शिवराजसिंह की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध

में आवेदिका सरिता भदौरिया के द्वारा यह बताया गया है कि दुर्घटना के समय उसके पति की उम्र 26 वर्ष की थी, इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण आवेदक पक्ष के द्वारा पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में मृतक शिवराज की मृत्यु के पश्चात् शवपरीक्षण आवेदनपत्र एवं शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 2 में भी उसकी उम्र 26 वर्ष की होनी उल्लेखित है। इस प्रकार मृत्यु के समय मृतक शिवराजसिंह की उम्र 26 वर्ष की होनी पाई जाती है।

29. मृतक शिवराजसिंह की आमंदनी का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिवचन में यह बताया गया है कि मृतक स्टेशनरी, इलेक्ट्रोस्टेट व कम्प्यूटर टाइपिंग कर 20,000/- रुपए प्रति माह आय अर्जित कर लेता था, किन्तु पूर्ववर्ती विवेचना के दौरान उसकी आमंदनी 20,000/- रुपए प्रतिमाह होनी नहीं पाई गई है। यद्यपि मृतक शिवराजसिंह की कोई निश्चित आमदनी होनी प्रमाणित नहीं है, किन्तु निश्चित तौर से मृतक जो कि 26 वर्षीय नवयुवक है वह मेहनत, मजदूरी आदि कर के 3200/- रुपए प्रतिमाह आमदनी अर्जित कर लेता होगा ऐसा माना जा सकता है।

30. मृतक शिवराजसिंह की मृत्यु के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले प्रतिकर का जहाँ तक प्रश्न है। मृतक की मृत्यु के समय उसकी आमदनी 3200/- रुपए प्रति माह होना पाई गई है तथा उस पर वारिसों की संख्या 4 होना पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरला वर्मा वि० देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए.सी.जे. 1298 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि वारिसों की संख्या 4-6 हो तो कुल आमंदनी का 1/4 भाग स्वयं पर व्यय करता। इस प्रकार स्वयं पर व्यय आय का 800/- रुपए हुई और आमंदनी नुकसान के मद में $3200-800 = 2400/-$ रुपए प्रतिमाह होगा जो कि वार्षिक $2400 \times 12 = 28,800/-$ रुपए कुल राशि में मृतक की उम्र के अनुसार जो कि 26 वर्ष की होनी अभिनिर्धारित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त सरला वर्मा के न्याय दृष्टांत में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप 17 का गुणांक लगेगा। इस प्रकार आमंदनी के नुकसान के मद में कुल प्रतिकर की राशि $28,800 \times 17 = 4,89,600/-$ रुपए होगी। इसके अतिरिक्त आवेदिका क्रमांक 1 जो कि मृतक की पत्नी है उसे सहचर्य के नुकसान के मद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राजेश वि० राजबीर 2013 ए.सी.जे. 1430 एस.सी. में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार 1,00,000/- रुपए प्रदान किया जाएगा तथा अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 25000/- रुपए भी दिलाए जाना उचित प्रतिकर होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि $4,89,600+1,00,000+25,000 = 6,14,600/-$ रुपए होगा। कुल प्रतिकर की राशि में आवेदक क्रमांक 5 को छोड़कर शेष आवेदकगण दावा प्रस्तुत दिनांक से बसूली तक 6% व्याज भी पाने के अधिकारी है।

31. प्रतिकर की राशि अदायगी के दायित्व का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त वाहन जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा दुर्घटना के समय चला जा रहा था तथा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था एवं वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था। इस प्रकार प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदकगण का संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से होगा। तदनुसार कुल प्रतिकर की राशि 6,14,600/- रूपए आवेदक क्रमांक 5 को छोड़कर शेष आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं। तदनुसार इस बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

क्लेम प्र0 क्र0 32/2014 का बिन्दु क्रमांक 4

32. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचन एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया गया है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 4744 जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का है तथा अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित है को तेजी व लापरवाही से दुर्घटना कारित की जिसके फलस्वरूप नीतेश सोनी की मृत्यु कारित हुई। मृतक नीतेश सोनी की मोटरयान दुर्घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी माँ, पिता व बहन के द्वारा उसके वारिस होने के आधार पर प्रतिकर हेतु वर्तमान दावा पेश किया गया है।

33. मृतक नीतेश सोनी की मोटरयान दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण उसे प्राप्त होने वाले प्रतिकर का जहाँ तक प्रश्न है। जहाँ तक मृतक पर आश्रितों का प्रश्न है। यह उल्लेखनीय है कि मृतक अविवाहित है उस आश्रितों के रूप में आवेदिका क्र0 1 मृतक नीतेश सोनी की माँ है और आवेदक क्रमांक 2 उसका पिता व आवेदिका क्रमांक 3 उसकी बहन का होना बताया गया है। उसके पिता रामकुमार को मानसिक रूप से बीमार होना अभिवचन में लिया गया है, किन्तु पिता रामकुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त या उनका कोई मानसिक इलाज चल रहा हो जिससे कि वह किसी प्रकार का कोई कार्य अथवा आय अर्जित न कर पाता हो ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं है। अन्य आवेदिका निधि सोनी का मृतक पर आश्रित होने का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में आवेदिका सुनीता सोनी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि निधि मृतक से बड़ी बहन है जो कि डेढ़ साल बड़ी है। ऐसी दशा में जबकि निधि के पिता रामकुमार अभी जीवित है वह मृतक भाई पर आश्रित हो ऐसा कहीं भी किसी भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। आवेदक क्रमांक 2 जो कि मृतक का पिता है वह अपने पुत्र मृतक पर किस प्रकार से आश्रित है ऐसा कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आवेदिका क्रमांक 2 व 3 के संबंध में कोई ऐसी साक्ष्य नहीं है कि वह अपने पुत्र व भाई मृतक की आय पर ही आश्रित थे उन्हें आश्रित होना नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार दुर्घटना के समय मृतक के आश्रितों में

उसकी माँ आवेदिका क्रमांक 1 वारिस के रूप में मौजूद होने पाए जाते हैं।

34. दुर्घटना के समय मृतक नीतेश सोनी की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में आवेदिका सुनीता सोनी के द्वारा यह बताया गया है कि दुर्घटना के समय उसके पुत्र की उम्र 19 वर्ष की थी। इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण आवेदक पक्ष के द्वारा पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में मृतक की माँ सुनीता सोनी के कथनों के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथन में घटना के समय मृतक की उम्र 19 वर्ष की होनी निर्धारित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में मृतक नीतेश सोनी की मृत्यु के पश्चात् शवपरीक्षण आवेदनपत्र एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में भी उसकी उम्र 18 वर्ष की होनी उल्लेखित है। इस परिप्रेक्ष्य में मृत्यु के समय मृतक नीतेश सोनी की उम्र 18 वर्ष की होनी अवधारित की जाती है।

35. मृतक नीतेश सोनी की आमदनी का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिवचन में यह बताया गया है कि मृतक जनरल स्टोर और स्टेशनरी दुकान कर 10,000/- रुपये प्रति माह आय अर्जित कर लेता था, किन्तु पूर्ववर्ती विवेचना के दौरान उसकी आमदनी 10,000/- रुपये प्रतिमाह होनी नहीं पाई गई है। यद्यपि मृतक नीतेश सोनी की कोई निश्चित आमदनी होनी प्रमाणित नहीं है, किन्तु निश्चित तौर से मृतक जो कि 18 वर्षीय नवयुवक है वह कुछ व्यवसाय या मेहनत, मजदूरी आदि कर के 3000/- रुपये प्रतिमाह आमदनी अर्जित कर लेता होगा ऐसा माना जा सकता है।

36. मृतक नीतेश सोनी की मृत्यु के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले प्रतिकर का जहाँ तक प्रश्न है। मृतक की मृत्यु के समय उसकी आमदनी 3000/- रुपये प्रति माह होना पाई गई है तथा उस पर आश्रितों की संख्या 1 होना पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरला वर्मा वि० देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए.सी.जे. 1298 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि वारिसों की संख्या 1 हो तो कुल आमदनी का 1/2 भाग स्वयं पर व्यय करता। इस प्रकार स्वयं पर व्यय आय का 1500/- रुपये होगा और आमदनी नुकसान के मद में $3000 - 1500 = 1500/-$ रु० प्रतिमाह होगा जो कि वार्षिक $1500 \times 12 = 18,000/-$ रुपये कुल राशि में मृतक की उम्र के अनुसार जो कि 18 वर्ष की होनी अभिनिर्धारित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त सरला वर्मा के न्याय दृष्टांत में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप 18 का गुणांक लगेगा। इस प्रकार आमदनी के नुकसान के मद में कुल प्रतिकर की राशि $18,000 \times 18 = 3,24,000/-$ रुपये होगी। इसके अतिरिक्त आवेदिका क्रमांक 1 जो कि मृतक की माँ है को अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 25,000/- रुपये एवं लव एण्ड इफेक्शन के मद में भी 25,000/- रुपये भी दिलाए जाना उचित प्रतिकर होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि

$3,24,000 + 25,000 + 25,000 = 3,74,000/-$ रुपए होगा। कुल प्रतिकर की राशि में आवेदक क्रमांक 2 व 3 को छोड़कर शेष आवेदिका क्रमांक 1 दावा प्रस्तुत दिनांक से बसूली तक 6% व्याज भी पाने की अधिकारी है।

37. प्रतिकर की राशि अदायगी के दायित्व का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त वाहन जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा दुर्घटना के समय चला जा रहा था तथा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था एवं वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था। इस प्रकार प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदकगण का संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से होगा। तदनुसार कुल प्रतिकर की राशि 3,74,000/- रुपए आवेदिका क्रमांक 1 अनावेदकगण से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी पायी जाती है। तदनुसार इस बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

क्लेम प्र0 क्र0 33/2014 का बिन्दु क्रमांक 5

सहायता एवं व्यय:-

38. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के पश्चात आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याचिका स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है-

1. आवेदकगण 1 लगायत 4 अनावेदकगण से संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से 6,14,600/- रुपए की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है एवं उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी सबूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज पाने के अधिकारी होंगे।
2. उक्त राशि जमा होने पर आवेदिका क्रमांक 4 जो कि मृतक की माँ है उसे प्राप्त होने वाली प्रतिकर की 50,000/- रुपए दिलाया जाना उचित होगा। उक्त प्राप्त होने वाली राशि का 60 प्रतिशत भाग 05 वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा किये जाए, शेष राशि बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जाए।
3. आवेदिका क्रमांक 4 को प्राप्त होने वाली राशि के उपरांत शेष प्राप्त होने वाली राशि आवेदकगण क्रमांक 1, 2, 3 को बराबर- बराबर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। जो कि आवेदक क्रमांक 2 व 3 नावलिग होने से उन्हें प्राप्त होने वाली प्रतिकर की सम्पूर्ण राशि उनके वयस्क होने तक उनकी माँ आवेदिका क्रमांक 1 के माध्यम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा की जाए। उक्त राशि पर प्राप्त होने वाली व्याज त्रैमासिक रूप से आवेदिका क्रमांक 1 उनके भरणपोषण हेतु प्राप्त करने की

अधिकारिणी रहेगी।

4. आवेदिका क्रमांक 1 को प्राप्त होने वाली राशि का 40 प्रतिशत भाग 7 वर्ष की अवधि के लिए और 30 प्रतिशत भाग 5 वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा किये जाए, शेष राशि बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जाए।
5. अभिभाषक शुल्क 1000/- रूपए निर्धारित की जाती है।
तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

क्लेम प्र0 क0 32/2014 का बिन्दु क्रमांक 5

सहायता एवं व्यय:-

39. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के पश्चात आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याचिका स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है-
 1. आवेदिका क्रमांक 1 अनावेदकगण से संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से 3,74,000/- रूपए की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है एवं उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी सबूती तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज पाने के अधिकारी होगी।
 2. उक्त राशि जमा होने पर उसका 50 प्रतिशत भाग 7 वर्ष की अवधि के लिए एवं 25 प्रतिशत भाग 3 वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा किये जाए, शेष राशि बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जाए।
 3. अभिभाषक शुल्क 750/- रूपए निर्धारित की जाती है।
तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाये।
- अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अति0मोटर दुर्घटना दावा अधि0
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अति0मोटर दुर्घटना दावा अधि0
गोहद जिला भिण्ड